





# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

प्रार्थी \_\_\_\_\_ वेला \_\_\_\_\_ विपक्षी \_\_\_\_\_ दफ्तर \_\_\_\_\_  
 किस्म मुकदमा \_\_\_\_\_ 212 एन.बी. पत्रावली संख्या 27/22 सन \_\_\_\_\_

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>26/6/23                      पत्रावली आज कोर्ट पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक 14/7/23 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">                       सहायक कलेक्टर                      SDO, मावली                 </p> <p>14/07/2023                      पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् एप.। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की शा.पत्र 022R4CPC, धारा 151 आ.दी., धारा 10 आ.दी., शा.पत्र 01 R106) पर वदस सुनी गई। मूल वाद में आज दिनांक को शा.पत्र 022R4CPC का स्वीकार किया जा चुका है। एप.। इस पत्रावली में भी शा.पत्र 022R4CPC का स्वीकार किया बिपक्षी सं. 4 का नाम लुके किया जाने का आदेश दिया जाता है। मूल वाद में शा.पत्र धारा 151 आ.दी. का स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने से इस पत्रावली में खारिज किया जाया है। मूल वाद में आज दिनांक को शा.पत्र धारा 10 आ.दी., शा.पत्र 01 R106) का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जा चुका है। एप.। इस पत्रावली में भी शा.पत्र धारा 10 आ.दी., शा.पत्र आदेश 01 नियम 10 आ.दी. का खारिज किया जाया है। मूल वाद प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 आ.दी. के आदेश में देने से उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 21/07/2023 को पेश है।</p> <p>21/7/23                      पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् एप.। मूल वाद आज दिनांक को खारिज किये जाने से अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही कोष नहीं रखी है। एप.। उक्त प्रकरण को स्पी ब्णर पर शेप किया जाया है। अब में जारी अन्वेषण अम्पाई निवेद्याला इटाई आली है। पत्रावली केसल सुमार होकर नम्बर से कम हो निर्णय सुनाया गया।</p>	<p style="text-align: center;">                       सहायक कलेक्टर                      SDO, मावली                 </p> <div style="text-align: right;">   </div>